Reed. SW

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक [illegible] 4 (23) [illegible]/आकाशि/अनु/2007-08/ 1831 दिनांक [illegible]

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007-08 से पूर्व मे संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र०सं०	पत्रा० सं०	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	144	एम.आर.एस.श्रीकृष्ण प्रणामी कन्या महाविद्यालय, भादरा	भादरा, हनुमानगढ़	बीकानेर, विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	125	श्री गुरुनानक खालसा महाविद्यालय	अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	13	अग्रसेन कन्या पी.जी.महाविद्यालय	खैरली, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	68	टैगोर महाविद्यालय	गुढ़ा गौड़ जी झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	75	न्यू राजस्थान बालिका पी.जी. महाविद्यालय	अणगासर रोड, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	66	श्री रामप्रसाद बोहरा महाविद्यालय, बुहाना	बुहाना, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	149	भूपाल नोबल्स विधि महाविद्यालय	तहसील गिर्वा, उदयपुर	एम.एल.एस विश्वविद्यालय उदयपुर	विधि
8	22	क्वीन महाविद्यालय	बीकानेर-334003	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	249	राजधानी लॉ कॉलेज	डी-74, पीयामार्ग, बनीपार्क, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
10	140	पैसिफिक कॉलेज	गुलाब बाग रोड, उदयपुर	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
11	55	ब्राइट मून गर्ल्स कॉलेज	गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	99	सेठ रामजीदास मोदी महिला महाविद्यालय	दादाबाड़ी, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
13	76	श्रीमती रामकुमारी पी.जी.महिला महाविद्यालय	मण्डी मुकुन्दगढ़, तह. नवलगढ़, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
14	111	भारतीय महिला महाविद्यालय	सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
15	8	गीता देवी डिग्री कॉलेज	मौरथल, तह. किशनगढ़, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
16	262	सेन्ट विलफ्रेड पी.जी.कॉलेज	सेक्टर-10,मीरामार्ग न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
17	184	आर.के.विज्ञान (पी.जी.) महाविद्यालय	60,61,62, सुभाष कॉलोनी, गांधी नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
18	266	एस.एस.जैन सुबोध गर्ल्स कॉलेज	एयरपोर्ट रोड, सांगानेर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
19	107	भगवती कन्या महाविद्यालय	गणेश कालोनी, गंगापुर सिटी	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।

5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।

6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।

7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।

8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।

10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007–08/ 1561 दिनांक 26 मई, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

(i) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

(ii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(iii) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

(iv) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(v) कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर/ एम0एल0एस0 विश्वविद्यालय, उदयपुर ।

(vi) विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(vii) जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़/ श्रीगंगानगर/ अलवर/ झुंझुनू/ उदयपुर/ बीकानेर/ उदयपुर/ कोटा/ सीकर/ जयपुर/ सवाई माधोपुर ।

(viii) सचिव, सम्बन्धीत महाविद्यालय ।

(ix) निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

(x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

(xi) संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।

(xii) रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।